भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़

क्रमांक. 512/पू.मु.मं.छ.ग./2024 दिनांक– 02/07/2024

प्रति,

श्री ओम बिरला जी,
माननीय अध्यक्ष, लोकसभा
लोकसभा सचिवालय, संसद भवन,
नई दिल्ली, 110001

विषयः संसद में माननीय सदस्य श्री संतोष पांडे दवारा मुझ पर लगाए गए आरोपों का तथ्य प्रस्तुत करने, इसका विलोपन करने व आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।

माननीय बिरला जी,

संसद में दिनांक 02 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाग लेते हुए राजनांदगांव के माननीय सांसद श्री संतोष पांडेय ने ऑनलाइन सटटा ऐप 'महादेव ऐप' का ज़िक्र किया. अपने भाषण में उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मेरा भी ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि छह हज़ार करोड़ के महादेव ऐप का संचालन मेरे दवारा किया जाता था.

माननीय अध्यक्ष जी इस पत्र के माध्यम से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्य श्री संतोष पांडेय जी ने कहा है वह तथ्यहीन और बेबुनियाद है. सच तो यह है कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए ही महादेव ऐप पर क़ानूनी कार्रवाई शुरु हुई. पूरे प्रदेश में 72 एफ़आईआर दर्ज किए गए, 150 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया, सैकड़ों बैंक खाते सील हुए और मोबाइल फ़ोन आदि ज़ब्त किए गए. महादेव ऐप चलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ लुक-आउट नोटिस हमारी सरकार ने जारी किया और हमने ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि महादेव ऐप के संचालकों को विदेश से गिरफ़्तार कर लाया जाए जिससे जांच आगे हो सके. 'गूगल प्ले स्टोर' से महादेव ऐप को हमारी सरकार की पहल पर हटाया गया.

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ बयानों के आधार पर हमारी सरकार पर आरोप लगाए हैं. फ़र्ज़ी बयानों के आधार पर राजनीति की जा रही है लेकिन इस मामले में कोई तथ्य नहीं है.

----2

1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर, पदुमनगर, भिलाई-3, जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़ 490021

भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

माननीय सदस्य श्री पांडेय ने जो कुछ संसद में कहा है उसे लेकर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि -

1. माननीय संसद सदस्य श्री संतोष पांडेय दवारा महादेव ऐप के संबंध में कही गई बातों और मुझ पर लगाए गए आरोपों के तथ्य प्रस्तुत करवाने के निर्देश आपकी ओर से जारी किए जाएं.
2. इस निराधार आरोप को संसद की कार्यवाही से विलोपित करने के निर्देश जारी करें.
3. ग़लत तथ्यों के आधार पर संसद में ग़ैर-मौजूद किसी व्यक्ति पर दोषारोपण करने के लिए उनके ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

माननीय अध्यक्ष जी, आप संसद के ज़रिए लोकतंत्र की स्वस्थ्य परंपराओं के संरक्षक हैं और यह सदन की परंपरा है कि किसी माननीय सदस्य दवारा कोई आरोप लगाए जाने पर तथ्य प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी माननीय सदस्य की ही होती है. माननीय संसद सदस्य श्री संतोष पांडेय ने निराधार आरोपों के ज़रिए मेरी राजनीतिक छवि को नुक़सान पहुंचाने की कोशिश की है. इससे मुझे मानसिक संताप भी हुआ है.

माननीय सदस्य श्री संतोष पांडेय जी के निराधार आरोप से न केवल मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ है बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का अपमान हुआ है.

मेरी विनम्र प्रार्थना है कि संसदीय परंपराओं के अनुरूप आप मेरे अनुरोध पर समुचित कार्रवाई कर मुझे अनुग्रहित करेंगे.

सादर,

भवदीय,

(भूपेश बघेल)
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
व विधायक, पाटन

संलग्न – माननीय संसद सदस्य श्री संतोष पांडेय के भाषण के उस अंश की प्रतिलिपि जिसमें महादेव ऐप व मेरे नाम का ज़िक्र है.

1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर, पदुमनगर, भिलाई-3, जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़ 490021

माननीय लोकसभा सदस्य के 02/07/2024 के भाषण के अंश की प्रतिलिपि जिसमें महादेव ऐप और मेरा ज़िक्र किया गया

श्री संतोष पांडेय - *नेता प्रतिपक्ष कल, राहुल गांधी जी बार-बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे, वो भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, ये आपकी फितरत में है, आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिया छत्तीसगढ़ को और वो आकर लोकसभा में भी निपट गए, वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया, आपको ध्यान होगा 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया।*